कार्यलय तहसीलदार (भू.अ.) जायल

क्रमांक / भू.अ. / 2020 / 1680

दिनांक 08-07-2020

आ० नि० 8/7/20

प्रेषिति– श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
जायल

विषय–प्रकरण धारा 251 (ए) की जांच करवाकर मौका रिर्पोट भेजने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आपके न्यायालय के प्रकरण सं. 23/19 अनवान [illegible] की जांच भू.अ.निरिक्षक से करवाई गई.उक्त प्रकरण राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) से सम्बन्धित है। उक्त प्रकरण की जांच होकर भू.अ. निरिक्षक द्वारा तैयार की गई मौका रिर्पोट मय आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर इस कार्यालय में जमा हो जाने से इस पत्र के संलग्न श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न मौका रिर्पोट मय दस्तावेज

तहसीलदार (भू.अ.) जायल
तहसीलदार (भू.अ.)
जायल

Scanned with CamScanner

फर्द मौका

मुकदमा नं. 21/19
अनन्तराम - रामदेव बनाम रामजीत
रामजीत बनाम रामदेव

आज दिनांक 06/07/2020 को परगना मझोला कठौती के ख०न० 1193/2219 के मौके पर पहुँचा। मौके पर अर्जुनराम S/o रामजीत सुखदेव S/o रामजीत प्रहलादराम इत्यादि उपस्थित मिले। मौके पर उपस्थित मौज लोग की उपस्थिति में प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज० काश्तकारी अधिनियम के संबंध में मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा इस प्रकार तैयार किया गया।

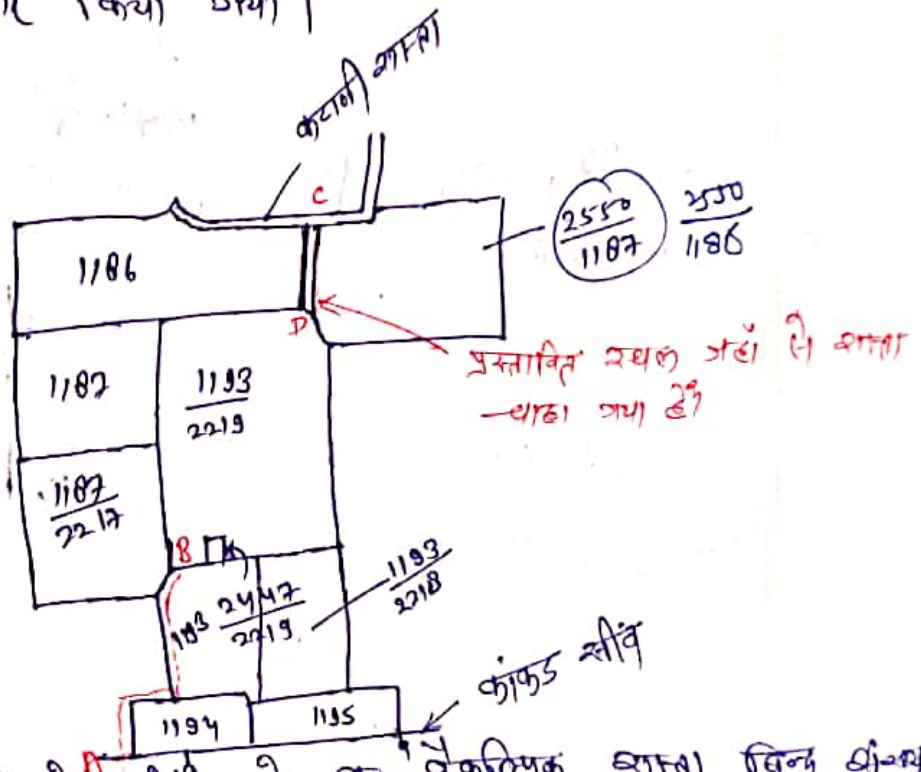

(1) प्रार्थी के खेत में आने का वैकल्पिक रास्ता बिन्दु (चिन्ह) A से B दर्शाया गया है

(2) प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता है, जो नजरी नक्शे में बिन्दु C से D दर्शाया गया है जिसकी दूरी 40 गढ़ा है

P.T.O.

Scanned with CamScanner

(3) प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते पर किसी तरह का कोई पक्का निर्माण नहीं है।

(4) प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते में ख.न. $\frac{2550}{1186}$ में से 0.09 बीघा भूमि रास्ते में बनती है जिसकी DLC दर 220531 रु. प्रति बीघा के हिसाब से कुल 19847/- रु. बनती है।

उक्त मौका रिपोर्ट तैयार कर पढ़कर सुनाई गई व उपस्थित मौतबिरान के दस्तखत करवाये।

शोभाराम लीमरोड़
पटवारी
तह. जायल (नागौर)

सुखदेव
प्रहलाद

6/7/20
ILR जायल

C.S.
23/02/2024
उप खण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

रामदीन बनाम रामदेव वगैरह
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 22/2017

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

बइजलास – रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

प्रार्थीगण :– मुकदमा नं. 11/2019

1. रामदीन पुत्र चूनाराम के कायम मुकाम
   1. धापूदेवी पत्नि स्व. रामदीन उम्र 82 वर्ष
   2. सुखदेव पुत्र स्व. रामदीन उम्र 48 वर्ष
   3. बनवारी पुत्र स्व. रामदीन उम्र 47 वर्ष
   4. अर्जुनराम पुत्र स्व. रामदीन उम्र 42 वर्ष
      जातियान–जाट, निवासीगण–कठौती, तहसील–जायल (नागौर)
   5. इन्द्रादेवी पुत्री स्व. रामदीन पत्नि दिनेश जाति–जाट निवासी–रोल तहसील–जायल जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. रामदेव जायन्दा पुत्र भोलूराम गोदपुत्र श्री झूमरराम जाति–जाट निवासी–जायल जिला–नागौर (राज.)
2. तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1. अधिवक्ता श्री हरीश पारीक प्रार्थीगण की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका अप्रार्थी की ओर से।
3. तहसीलदार जायल (राजपैरोकार) उपस्थित।

– : : आदेश : : –

प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत 1193/2219 रकबा 2.9461 हैक्टेयर वाके मौजा कठौती में आई हुई जिसमे प्रार्थी की रहवासी ढाणी भी है, जो खसरा नं. 2446/2219 है। इसके चिपते ही उतर दिशा में प्रार्थी के खातेदारी की भूमि खसरा नं. 2550/1186 रकबा 1.2772 हैक्टैयर है, जिसके उतर दिशा में कटाणी रास्ता खसरा नं. 2625/2550 आया हुआ है। प्रार्थी के खेत में आने जाने का पीढीयों से पुरातन कदीमी रास्ता कटाण रास्ता

23/02/2021
सहायक कलक्टर
(एस. डी. ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

खसरा नं. 2625/2550 में से दक्षिण फंटकर दक्षिणी तरफ अप्रार्थी के खसरा नं. 2550/1186 की दक्षिणी माठ के सहारे-2 अन्दर की तरफ 20 फीट चौड़ाई में संलग्न नजरी नक्शा में मार्क क से ख है, जिसका सैकड़ो वर्षो से प्रार्थी व उसके बढेर इस रास्ते का मात्र यही रास्ता होने से आवागमन हेतु उपभोग करते आये है।

उक्त रास्ता कटाण नहीं होने से अप्रार्थी रामदेव पिछले कुछ समय से प्रार्थी के इस रास्ते में अवरोध, बाधा डालने की धमकी देता रहा है तथा 5 दिन पूर्व में उक्त रास्ते पर कान्टें छरड़िया डालना शुरू कर दिया तथा बदनियती से उक्त रास्ते को बंद करना चाहता है, जबकि अप्रार्थी को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। यदि अप्रार्थी ऐसा करने में सफल हो जाता है तो प्रार्थी की खातेदारी भूमि में कास्त करसण से वंचित होना पड़ेगा ऐसी स्थिति में उक्त रास्ते को 30 फीट चौडाई हेतु अधीन धारा 251क आर.टी.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा स्वीकार किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका ने वकालातनामा व जवाब प्रार्थना पत्र/आपत्तिया पेश की। पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 03.02.2021 पेश की। उक्त मौका रिपोर्ट अपूर्ण व अस्पष्ट होने पर पुनः तहसीलदार जायल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हेतु तहरीर जारी की गई। जिसकी पालना में तहसीलदार जायल ने प्रकरण में जरिये पत्रांक : 1680 दिनांक 08.07.2021 को मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार जायल से जरिये पत्रांक भू.अ. /2020/1683 दिनांक 08.07.2020 के प्राप्त हुई। मौका रिपोर्ट में तहसीलदार जायल ने बताया कि प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता मौका रिपोर्ट में नजरी नक्शानुसार बिन्दू संख्या ए से बी है, प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता जो बिन्दू सी से डी अंकित किया हुआ सबसे नजदीकी रास्ता है। प्रार्थी द्वारा वांछि रास्ते पर किसी प्रकार कोई पक्का निर्माण नहीं है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते में खसरा नं. 2550/1186 में से 0.09 बीघा रास्ते के लिए उभभोग में आयेगी। जिसकी डी.एल.सी दर 22053/- प्रति बीघा है, जिसके अनुसार दुगुनी राशि 19847 रू. बनती है।

वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र में बताया कि प्रार्थी खसरा नं. 2550/1186 में से कभी आता जाता नहीं है तथा प्रार्थी के खसरा नं. 1186 से रास्ता भी नजदीक है जबकि खसरा नं. 2550/1186 से रास्ता ज्यादा दूर है।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर (एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

251क की मंशानुरूप नजदीकी रास्ते से ही मांग का अधिकार है। प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य अनबन व तंग परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थी ने आगे जवाब में बताया कि प्रार्थी व अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 2550/1186 में से कभी कदीमी रास्ता नहीं रहा है। यदि सैकड़ो वर्षो से रास्ता चल रहा है तो उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार प्रार्थी को नहीं है मात्र सिविल कोर्ट में सुखाचार के तहत ही वाद पेश कर सकता है। अप्रार्थी ने खसरा नं. 1186 के खातेदार को जानबुझकर पक्षकार नहीं बनाया गया है, जिससे प्रार्थी के नजदीकी रास्ता लगता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों, आपसी नाराजगी के कारण कभी 20 फीट कभी 30 फीट रास्ते की मांग करता है, जिससे साफ जाहिर की प्रार्थी अप्रार्थी को तंग व परेशान करना चाहता है साथ ही तहसीलदार जायल जो कि भू-स्वामी है को पक्षकार नहीं बनाया गया है जिसके अभाव में भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

दौराने सुनवाई के प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. का तहसीलदार जायल को अप्रार्थी संख्या 2 के रूप में पक्षकार संयोजित किये जाने के संबंध में पेश किया जिसकी प्रति वकील अप्रार्थी को दिलाई गई। बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 2 के रूप में तहसीलदार जायल को पक्षकार संयोजित किये जाने के आदेश पारित किये गये।

इसी प्रकार प्रकरण हाजा में प्रार्थी रामदीन की मृत्यु होने पर उसके कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेने बाबत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. मय वकालात नामा पेश किया जिसकी प्रति वकील अप्रार्थी को दिलाई। बाद सुनवाई के प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

चूंकि हस्तगत प्रकरण अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधीनियम 1955 के तहत है, जिसमें तहसीलदार जायल से मौका रिपोर्ट प्राप्त की जानी अपेक्षित होती है जो कि दिनांक 08.07.2020 को प्राप्त होकर सामिल मिसल है। साथ ही प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. व प्रार्थना आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. का निर्णय हो चुका है। प्रार्थना पत्र वर्ष 2019 से लम्बित चल रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र संक्षिप्त कार्यवाही (Summary Proceeding) का होने से वकुलाय की सहमति व निवेदन पर हस्तगत प्रकरण में बहस अन्तिम के निवेदन पर बहस वकुलाय सुनी गई।

सहायक कलक्टर
(उ.प्र.अ.) जायल

सहायक कलक्टर
एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत 1193/2219 रकबा 2.9461 हैक्टैयर वाके मौजा कठौती में आई हुई जिसमे प्रार्थी की रहवासी ढाणी भी है, जो खसरा नं. 2446/2219 है। इसके विपते ही उतर दिशा में प्रार्थी के खातेदारी की भूमि खसरा नं. 2550/1186 रकबा 1.2772 हैक्टैयर है, जिसके उतर दिशा में कटाणी रास्ता खसरा नं. 2625/2550 आया हुआ है। प्रार्थी के खेत में आने जाने का पीढीयों से पुरातन कदीमी रास्ता कटाण रास्ता खसरा नं. 2625/2550 में से दक्षिण फंटकर दक्षिणी तरफ अप्रार्थी के खसरा नं. 2550/1186 की दक्षिणी माठ के सहारे–2 अन्दर की तरफ 20 फीट चौड़ाई में संलग्न नजरी नक्शा में मार्क क से ख है, जिसका सैकड़ो वर्षो से प्रार्थी व उसके बढेर इस रास्ते का मात्र यही रास्ता होने से आवागमन हेतु उपभोग करते आये है।

उक्त रास्ता कटाण नहीं होने से अप्रार्थी रामदेव पिछले कुछ समय से प्रार्थी के इस रास्ते में अवरोध, बाधा डालने की धमकी देता रहा है तथा 5 दिन पूर्व में उक्त रास्ते पर कान्टें छरड़िया डालना शुरू कर दिया तथा बदनियती से उक्त रास्ते को बंद करना चाहता है, जबकि अप्रार्थी को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। यदि अप्रार्थी ऐसा करने में सफल हो जाता है तो प्रार्थी की खातेदारी भूमि में कास्त करसण से वंचित होना पड़ेगा ऐसी स्थिति में उक्त रास्ते को 30 फीट चौड़ाई हेतु अधीन धारा 251क आर.टी.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा स्वीकार किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या प्रार्थी द्वारा दी गई दलीलों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी खसरा नं. 2550/1186 में से कभी आता जाता नहीं है तथा प्रार्थी के खसरा नं. 1186 से रास्ता भी नजदीक है जबकि खसरा नं. 2550/1186 से रास्ता ज्यादा दूर है। 251क की मंशानुरूप नजदीकी रास्ते से ही मांग का अधिकार है। प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य अनबन व तंग परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थी ने आगे निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 2550/1186 में से कभी कदीमी रास्ता नहीं रहा है। यदि सैकड़ो वर्षो से रास्ता चल रहा है तो उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार प्रार्थी को नहीं है मात्र सिविल कोर्ट में सुखाचार के तहत ही वाद पेश कर सकता है। अप्रार्थी ने आगे बहस के दौराने निवेदन किया कि प्रार्थी ने खसरा नं. 1186 के खातेदार को जानबुझकर पक्षकार नहीं बनाया है, जबकि उक्त खेत से प्रार्थी के नजदीकी रास्ता लगता है। वकील अप्रार्थी ने बहस के दौराने आगे निवेदन किया कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों, आपसी नाराजगी के कारण पेश किया जिसमें कभी 20 फीट

सहायक कलक्टर

Scanned with CamScanner

चौड़ाई में तथा कभी 30 फीट चौड़ाई में रास्ते की मांग करता है, जिससे साफ जाहिर की प्रार्थी अप्रार्थी को तंग व परेशान करना चाहता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज जावे।

पत्रावली में प्रार्थना पत्र, जवाब आपत्ति एवं तहसीलदार जायल की मौका रिपोर्ट दिनांक 08.07.2021 का अवलोकन किया गया एवं वकुलाय बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी ने स्वयं के खातेदारी खेत खसरा नं. 1193/2219 के लिए अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 2550/1186 में से 30 फीट चौड़ाई का रास्ता माफिक नजरी नक्शानुसार दिलाये जाने का अनुतोष चाहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अनुसार खातेदार कृषक को निकटतम दूरी के कटाणी रास्ते से वैकल्पिक रास्ता का अभाव होने की स्थिति में आत्यान्तिक आवश्यकता का बिन्दू सिद्ध होने पर ही रास्ता दिये का प्रावधान है।

उक्त प्रार्थना पत्र में तहसीलदार जायल की मौका रिपोर्ट में बताया है कि प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 1193/2219 में आवागमन हेतु वैकल्पिक कदीमी रास्ता मौका रिपोर्ट में नजरी नक्शानुसार बिन्दू संख्या ए से बी है मौजूद है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता जो बिन्दू सी से डी अंकित किया हुआ तथा सबसे नजदीकी रास्ता है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते पर किसी प्रकार कोई पक्का निर्माण नहीं किया हुआ है तथा प्रस्तावित/वांछित रास्ते में खसरा नं. 2550/1186 में से 0.09 बीघा रास्ते के लिए उपभोग में आयेगी। पत्रावलियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है, कि न्यायालय हाजा के प्रार्थना पत्र संख्या 23/2019 में संयोजित पक्षकार प्रार्थी रामदेव के खेत खसरा नं. 2550/1186, 1193/2219 में से तथा हस्तगत प्रकरण (11/2019) में प्रार्थी रामदीन के द्वारा खसरा नं. 2550/1186 में से रास्ते की मांग की गई। इसका अर्थ यह है कि खसरा नं. 1193/2219 के खातेदार ने पहले 2550/1186 के खेत का रास्ता बंद किया, जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी रामदेव द्वारा प्रार्थी रामदीन के खातेदारी खेत खसरा नं. 1193/2219 का रास्ता बंद किया है। उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में प्रस्तावित रास्ता पूर्व में चलन में था जिसे पक्षकारान् द्वारा आपसी मनमुटाव व असहमति से एक–दूसरे के खातेदारी खेत में से बंद किया जाना प्रतीत होता है।

अप्रार्थी द्वारा यह आक्षेपित बिन्दू खसरा नं. 1186 को पक्षकार नहीं बनाये जाने के संबंध यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थना पत्र संख्या 11/2019 व 23/2019 एक दूसरे से सुसंगत एवं सातंत्य में है तथा दोनो ही पत्रावलियों में खसरा नं. 1186 के खातेदार का पक्षकार संयोजित नहीं किया है, क्योंकि खसरा नं. 1193/2219 का

Scanned with CamScanner

खातेदार पूर्व में इसी खसरे अर्थात 2550/1186 से ही आता जाता था एवं प्रार्थना पत्र संख्या 23/2019 में खसरा नं. 2550/1186 का खातेदार स्वयं प्रार्थी है तथा खसरा नं. 1193/2219 से रास्ता चाह रहा है। अतः खसरा नं. 1186 का इन दोनो पत्रावलियों में कोई वास्ता नहीं होने से पक्षकार नहीं बनाया गया है।

इसी प्रकार तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट में भी निकटतम रास्ता खसरा नं. 2550/1186 से होना विहीत आया है। अतः प्रार्थी को अपने खातेदारी खेताय में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रस्तावित/वांछित रास्ता की आत्यान्तिक आवश्यकता सिद्ध पाये जाने से प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251क राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

यत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ आने व जाने अथवा संसाधनो को लाने ले जाने के लिए मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण प्रार्थी के ग्राम–कठौती तहसील–जायल खेत खसरा नं. 1193/2219 के लिए माफिक नजरी नक्शानुसार ग्राम–कठौती, तहसील–जायल के खसरा नं. 2550/1186 में से तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 08.07.2020 के अनुसार डोटेट मार्क डी–सी दूरी 40 गठ्ठा (0.09 बीघा) के अनुसार स्वीकृत व घोषित किया जाता है। तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 08.7.2020 प्रकरण में निर्णय का भाग रहेगी।

तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त ग्राम–कठौती, तहसील–जायल के खसरा नं. 2550/1186 में से रास्ते के उपभोग/उपयोग में आने वाली 40 गठ्ठा अर्थात 0.09 बीघा भूमि के एवज में प्रार्थी से वर्तमान नवीनतम डी.एल.सी. दर अनुसार 2 गुणा प्रतिकर राशि (माफिक मौका रिपोर्ट/तकमीना) प्रभावित खातेदार कृषक को नियमानुसार भुगतान कराने की कार्यवाही करे। माफिक आदेश बाद अपील मियाद के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तदनुसार तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 23/02/2024 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

23/02/2024

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल

Scanned with CamScanner